हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...
30/5/2024	अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट/ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। आवाज लगवाने गई उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। संक्षेप में विवाद प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्टगण द्वारा विरुद्ध रेस्पोन्डेन्ट मय वकील मेमो इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्टगण के पति एवं पिता के स्वामित्व आधिपत्य व उपयोग उपभोग की पुश्तैनी कृषि आराजीयात मौजा बडोलिया तहसील चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 123 में वर्णित आराजी कीता 01 रकबा 0.06 है. एवं खाता संख्या 126 में वर्णित आराजीयात कीता 15 कुल रकबा 3.89 है. अवस्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्टगण के पति व पिता मेघाजी के खातेदारी में चली आ रही थी जबकि अपीलान्टगण के दादाजी व ससुरजी प्रताप जी के स्वर्गवास होने पर विरासत से जो इन्तकाल खोला गया उसमें अपीलान्टगण के पति एवं पिता मेघाजी के बोलते नाम से खोल दिया जबकि अपीलान्टगण के पति व पिता का वास्तविक नाम भगनीराम है और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी भगनीराम के नाम से ही जारी किया गया व जमी ..... लगातार (नीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

सरकारी दस्तावेजों में भी मगनीराम ही अंकित है, इसलिए मेघा के बजाय मगनीराम राजस्व रेकार्ड मे अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अपीलान्टगण ग्रामीण परिवेश के सद्‌भाविक कृषक है तथा अनपढ है, जिनको राजस्व रेकार्ड मे त्रुटिपूर्ण नाम की जानकारी नही थी। त्रुटिपूर्ण नाम की जानकारी दिनांक 14.7.2023 को नकल प्राप्त करने से हुई। अपील पेश करने मे हुई समस्त देरी को [illegible] कंडोन की जाकर अपील स्वीकार फरमायी जाना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.1977 अपास्त फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अपीलान्टगण के पिता व पति का नाम मेघा के बजाय मगनीराम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट 01 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक

.... लगातार

(दीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

SCAN AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिया।

इसके पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। अपीलान्ट ने धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। रेस्पोण्डेन्ट द्वारा अपील मेमो का खण्डन भी प्रस्तुत नहीं हुआ। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस में बताये गए तथ्यों के आधार पर अपील मेमो में वर्णित तथ्य उचित प्रतीत होते है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 369 निर्णय दिनांक 12.10.77 मौजा बडोदिया तहसील चित्तौड़गढ़ निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा बताये गए तथ्यों कि समुचित जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)